



प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और फोटियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of making over the copy to the applicant
19/9/17	19/9/17	25/9/17

FOLIO NOT AVAILABLE  
 स्वामी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खातियान के खेसरा संख्या 25565  
 खाता नं० 79  
 गौव थाना मोहल्ला पट्टी परगना तौजी सं०

खातियान की क्रम सं०	अभिचारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लॉट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है		स्वत्वाचारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो
		खेसरा संख्या	चौबंदी				सजस्य पदाधिकारी द्वारा अभिनियमित लगान 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
1		3	4	5	6	7	8	9	
79	आसमा रबाबुन यति अब्दुल हमीद	2543	उ. बकरीय रबी	दोन एक	0.08.50				
		2556	रहुपा रकबा	दोन एक	0.09.80				
		2560	अविद्या सरका द. सर्व- साधारण नास्ता	दोन एक	0.11.10				
		3	प्रतिलिपिक 20/9/17	तुल्य किया	0.24.40				

य काय

का मत अतिरिक्त अधिनियम क्रमांक 10 अधिनियम 1930 की धारा 82(2) के अन्तर्गत जारी किया गया है।  
 अधिनियम संख्या 10 अधिनियम 1930 के अन्तर्गत जारी किया गया है।  
 अधिनियम संख्या 10 अधिनियम 1930 के अन्तर्गत जारी किया गया है।  
 अधिनियम संख्या 10 अधिनियम 1930 के अन्तर्गत जारी किया गया है।

Head Clerk to the Settlement office  
 is authorised Via 78 of the  
 Indian Evidence Act, 1872

10 AUG 1937  
 18 AUG 1937